रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222984 CG-DL-E-06112020-222984

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] No. 472] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/ कार्तिक 15, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

भारतीय उपचर्या परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

फा.सं. 11—1 / 2019—आईएनसी.—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है:—

लघ् शीर्षक और प्रवर्तन.-

- i. ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् (परिषद् द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों में नर्सिंग कार्यक्रम में पीएच. डी. प्रारम्भ करने के लिए दिशानिर्देश), विनियम, 2020 कहलायेंगे।
- ii. ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना / प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

भारतीय उपचर्या परिषद् (परिषद् द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों में नर्सिंग कार्यक्रम में पीएच.डी. प्रारम्भ करने के लिए दिशानिर्देश), विनियम, 2020

1. पृष्टभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति—2017 में राष्ट्र के स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य शोध द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका पर बल दिया गया है। नीति का उद्देश्य प्रशासन प्रणालियों को मजबूत करना है तािक नर्स नायकत्व करने वाले पदों पर आसीन हो सकें, अभ्यास के नियमन में सुधार कर सकें और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत कर सकें। नर्सिंग में डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने से और अधिक योग्य नर्स तैयार करने में मदद मिलेगी जो देश की स्वास्थ्य और नर्सिंग देखभाल की मांग को पूरा कर सकते हैं। भारत के बहुत से विश्वविद्यालय इस आवश्यकता को समझते हुए नर्सिंग में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समान मानक एवं पाठ्यक्रम तथा दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा ऐसे सभी विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन

5418 GI/2020 (1)

करने हेतु पीएच.डी. पाठ्यक्रम और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो अपने विश्वविद्यालयों में नर्सिंग में डॉक्टरेट शिक्षा प्रारम्भ करने और इसे आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

2. दर्शन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति—2017 में तृतीयक देखभाल सेवाओं के प्रस्तावित विस्तार के साथ मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) प्रारम्भ कर तृतीयक देखभाल संस्थानों के स्पेशियलिटी और सुपर—स्पेशियलिटी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए नर्सों को तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर नर्सिंग कार्यक्रमों में नर्सिंग संकाय की भारी कमी है। भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास की गुणवत्ता में सुधार के लिए नर्स शास्त्रियों को तैयार करने के लिए डॉक्टरेट शिक्षा आवश्यक है।

डॉक्टरेट शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अर्जित योग्यता को आधार बनाकर कार्यनिर्वाह क्षमता का विस्तार करती है, और सैद्धांतिक विकास तथा शोध कौशल पर बल देती है। नर्स शास्त्रियों के कार्य में जटिल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों में नायकत्व की भूमिका निभाना, वर्तमान और उभरती हुई स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में नर्सिंग अभ्यास के लिए एक सैद्धांतिक और अनुभवजन्य आधार विकसित करना, नर्सिंग शोध करना और स्वास्थ्य देखभाल नीतियों को विकसित करने में भाग लेना शामिल है। पूरा जोर ऐसे नर्सिंग पेशेवर तैयार करने पर है जो नैदानिक प्रभावशीलता के लिए साक्ष्य आधारित अभ्यास का नायकत्व कर सकें।

3. प्रयोजन

डॉक्टरेट शिक्षा का मतलब है ऐसे नर्स शास्त्री तैयार करना जो नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, अभ्यास और नर्सिंग ज्ञान के प्रसार को बढ़ाने के लिए नर्सिंग ज्ञान के विकास एवं अनुप्रयोग दोनों में योगदान देने में सक्षम हों।

4. उद्देश्य

डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त नर्स निम्नांकित कार्य करने में सक्षम होंगे -

- नर्सिंग प्रासंगिक शोध का संचालन।
- नर्सिंग सिद्धांत और नर्सिंग विज्ञान का विकास।
- स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का विकास और परीक्षण करने के लिए नर्सिंग और अन्य संबद्ध विज्ञानों से ज्ञान का संश्लेषण।
- नर्सिंग अभ्यास, शिक्षा और शोध में नायकत्व कौशल प्रदर्शन।
- सैद्धांतिक विकास और शोध परिणामों का प्रसारण।

5. परिषद् द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों के लिए नर्सिंग में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु पात्रता मानदंड किसी भी विश्वविद्यालय के लिए नर्सिंग में पीएच.डी. डिग्री कार्यक्रम की स्वीकृति हेत् न्यूनतम मानदंड इस प्रकार हैं:—

• विश्वविद्यालय, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत परिषद् द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

डीम्ड / निजी विश्वविद्यालय

 विश्वविद्यालय में पीएच.डी. अर्हता तथा उपयुक्त अनुभव और शोध प्रकाशनों के साथ न्यूनतम दो मार्गदर्शक (नियमित संकाय) होने चाहिए। (देखें पृष्ठ संख्या 3)

राजकीय विश्वविद्यालय

• एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज, जो नर्सिंग में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहते हैं, में नर्सिंग में पीएच.डी. अर्हता वाले न्युनतम दो नियमित संकाय होने चाहिए।

शोध मार्गदर्शक

- मार्गदर्शक हर वर्ष केवल दो शोध छात्रों का चयन कर सकते हैं लेकिन किसी भी समय छः शोध छात्रों से अधिक नहीं होने चाहिए।
- यदि आवश्यक हो, तो शोध छात्र नर्सिंग या अन्य विषयों के सह–मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले सकता है।
- स्वास्थ्य देखभाल विषयों में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त धारकों को सह—मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- डीम्ड विश्वविद्यालय में मार्गदर्शक उसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए।
- राजकीय विश्वविद्यालय में मार्गदर्शक उसी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से हो सकता है।

शोध मार्गदर्शक हेत् पात्रता मानदंड

 नर्सिंग में पीएच.डी. डिग्री के साथ न्यूनतम 5 वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अनुभव तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में न्यूनतम 5 वैज्ञानिक प्रकाशन।

- मार्गदर्शक बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
- मार्गदर्शक (सह-मार्गदर्शक होने सहित) के किसी भी समय छः से अधिक शोध छात्र नहीं हो सकते।
- यदि आवश्यक हो. तो अभ्यर्थी नर्सिंग या अन्य विषयों के सह—मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले सकता है।
- ऐसे पीएच.डी. डिग्री धारक जो औपचारिक शिक्षक नहीं हैं, को सह-मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

८. शोध छात्र

- पूर्णकालिक शोध छात्र वे होते हैं जो पीएच.डी. के लिए अपना पंजीकरण पूर्णकालिक आधार पर कराते हैं और कहीं भी कार्यरत नहीं होते।
- अंशकालिक शोध छात्र वे होते हैं जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी कॉलेज/ स्कूल/अस्पताल/संस्थान/नर्सिंग विभाग में कार्यरत हैं।
- शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त मार्गदर्शकों की सूची से मार्गदर्शक का चयन कर सकते हैं। (अनुलग्नक—VI)

9. (1) शोध छात्र हेतु पात्रता मानदंड

ऐसे पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं जिन्होंने निम्नलिखित अर्हताएं प्राप्त की हों:-

- (अ) संबंधित विश्वविद्यालय में नर्सिंग संकाय के तहत नर्सिंग में पी.एचडी. (अंशकालिक) हेतु नामांकन के लिए एम.एससी. (नर्सिंग) के पश्चात 3 वर्ष के **प्रशिक्षण या नैदानिक अनुभव** के पश्चात परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एम.फिल. (नर्सिंग) या एम.एससी. (नर्सिंग) या नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री धारक छात्र।
- (ब) अभ्यर्थी ने एम.एससी. (नर्सिंग) न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हों।
- (स) विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान/अस्पताल/सामुदायिक केंद्र/नर्सिंग विभाग में कार्यरत हो।

(2) चयन हेतु मानदंड

- (अ) पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए चयन या तो प्रवेश परीक्षा अथवा एम.एससी. (नर्सिंग) में प्राप्तांकों (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।
- (ब) यदि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का फैसला करता है तो पीएच.डी. कार्यक्रम में अभ्यर्थी का प्रवेश निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-
 - i. 90 अंकों में से प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक (प्रवेश के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 90 अंकों का 60 प्रतिशत अर्थात
 54 होगा)।
 - ii. नर्सिंग में एम.फिल. डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए 5 अंक।
 - iii. प्रकाशनों के लिए 5 अंक।
- 10. प्रवेश में आरक्षणः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार।

11. अवधि

पूर्णकालिक : तीन वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष

अंशकालिक: पांच वर्ष

अभ्यर्थी अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

- (अ) अभ्यर्थी को अस्थायी पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष के अन्दर शोध कार्य पूरा कर अपनी थीसिस विश्वविद्यालय में जमा कर देनी चाहिए।
- (ब) थीसिस जमा करने की अधिकतम अवधि, मार्गदर्शक की सिफारिश के आधार पर शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड के अनुमोदन पर, अस्थायी पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष होगी। अवधि को आगे विस्तारित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

असाधारण परिस्थितियों में, थीसिस प्रस्तुत करने की समयाविध को आगे विस्तारित कराने वाले इच्छुक छात्र को मार्गदर्शक के माध्यम से कुलसचिव (मूल्यांकन) को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो इसे शोध अध्ययन/डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड को उनकी राय के लिए संदर्भित करेगा, जिसे उच्च अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामले में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

12. घटनानुक्रम

- अस्थायी पंजीकरण हर वर्ष 1 जुलाई।
- अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण हर वर्ष 15 जुलाई और 15 जनवरी।
- कोई भी दो अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए।

- पहली और दूसरी अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट की स्वीकृति और अस्थायी पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा संचालित की जाएगी।
- परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
- पंजीकरण की पृष्टि पीएच.डी.-पूर्व परीक्षा के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात की जाएगी।
- अस्थायी पंजीकरण के पश्चात एक वर्ष की अवधि में नैतिक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तृत करना होगा।
- जिन संस्थानों से आधार सामग्री एकत्रित की जा रही है, वहां के संबंधित अधिकारियों से नैतिक अनापत्ति / अनुमित प्राप्त करनी होगी।
- सभी अर्धवार्षिक रिपोर्टों की स्वीकृति और पीएच.डी. पंजीकरण सिमति द्वारा सारांश जमा करने की अनुमित के पश्चात पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए शोध कार्य का समापक सारांश प्रस्तुत करना होगा।
- पीएच.डी. समापक सारांश के अनुमोदन के पश्चात छः माह की अवधि में एक आवेदन के साथ थीसिस जमा करनी होगी और पीएच.डी. पंजीकरण समिति द्वारा थीसिस जमा करने के लिए अनुमति लेनी होगी।
- परीक्षकों द्वारा पीएच.डी. थीसिस की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात समापक मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जिसकी तिथि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

13. पंजीकरण प्रक्रिया

- I. पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों में से चुने गए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय—सीमा के अंदर शोध / नर्सिंग विभाग या कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रमुख के माध्यम से विधिवत भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। अभ्यर्थी को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :—
 - अ) अर्हता और गत अध्ययन व शोध का विवरण, यदि कोई हो, और मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में उनके प्रकाशनों का पूर्ण विवरण। (सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी)
 - ब) मान्यता प्राप्त मार्गदर्शक / सह—मार्गदर्शक का नाम और पता, जिसके मार्गदर्शन में अभ्यर्थी शोध करना चाहता है।
 - स) उस विभाग और संस्थान का नाम जहां अभ्यर्थी कार्य और शोध करना चाहता है।
 - द) प्रस्तावित शोध कार्य का शीर्षक और सारांश।
- II. सेवारत अभ्यर्थियों को नाम, हस्ताक्षर और मुहर के साथ मार्गदर्शक की सहमित और जहां अभ्यर्थी कार्यरत है वहां के विभागाध्यक्ष तथा संस्थान प्रमुख द्वारा जारी अनापित्त प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों हेत् अनुसूची के तहत उल्लिखित आलेखों के साथ कार्य—स्थल का उल्लेख करना होगा।
- III. निर्धारित समय और तिथि से पहले विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदन शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। बोर्ड / समिति आवेदनों की जांच करेगी और अनुवीक्षण प्रक्रिया के पश्चात आवेदन प्राप्त होने के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि से तीन माह के अंदर अस्थायी पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय को सिफारिश करेगी।

चयनित अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण संबंधित विशेषता में निर्धारित शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि के रूप में उल्लिखित तिथि से प्रभावी होगा।

IV. कोई भी अभ्यर्थी पंजीकरण के दौरान, संबंधित बोर्ड / समिति की पूर्व अनुमित के बिना न तो किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है और न ही विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी अन्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

14. शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड

बोर्ड / समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

- अ) नर्सिंग संकाय के डीन
- ब) चयनित पीएच.डी. अर्हता प्राप्त समिति सदस्य
- स) एक विषय विशेषज्ञ

15. प्रगति रिपोर्ट

अस्थायी पंजीकरण के पश्चात, प्रत्येक अभ्यर्थी को मार्गदर्शक के माध्यम से नियमित रूप से अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

ऐसी प्रत्येक अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट 1 जनवरी से जून के अंत तक और 1 जुलाई से दिसंबर के अंत तक की अविध के लिए प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि, छः माह से कम अविध की प्रथम रिपोर्ट जून या दिसंबर के अंत तक की अविध के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलु समाविष्ट होंगे :-

- अ) साहित्यिक समीक्षा की प्रगति,
- ब) एकत्रित नई आधार सामग्री अथवा सैद्धांतिक पृष्टभूमि / विकसित तकनीक,

- स) शोध पद्धति की प्रगति / मानकीकरण,
- द) सम्पादित कार्य की चर्चा।

यदि अभ्यर्थी लगातार दो बार समयावधि में अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसका अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

लगातार दो अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बोर्ड / संबंधित समिति द्वारा पंजीकरण रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय को सिफारिश की जाएगी।

16. पीएच.डी.-पूर्व परीक्षा

अभ्यर्थी के अस्थायी पंजीकरण की पुष्टि केवल अभ्यर्थी के अस्थायी पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात आयोजित होने वाली पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा में अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने पर ही की जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली पीएच.डी.-पूर्व परीक्षा की योजना इस प्रकार होगी :--

क्र.सं.	विषय	समयावधि	पूर्णांक
प्रश्न पत्र 1	शोध पद्धति एवं अनुप्रयुक्त सांख्यिकी	3 घंटे	100
प्रश्न पत्र 2	नर्सिंग विज्ञान एवं सैद्धांतिक विकास	3 घंटे	100
	शोध क्षेत्र पर संगोष्ठी / सत्रीय पेपर (आंतरिक मूल्यांकन)	_	100
	मौखिक परीक्षा (प्रतिपक्षीय प्रस्ताव)*	_	100

^{*&}gt;= 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

नोटः संपर्क घंटों के लिए 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। यदि छात्र की उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम हैं, तो उसे पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष में इसे पूरा करना होगा।

दोनों प्रश्न पत्रों के लिए पाठ्यक्रम भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

शोध विषय बदलने की गुंजाइशः शोध विषय को एक वर्ष के भीतर बदला जा सकता है।

17. पीएच.डी.-पूर्व परीक्षा की प्रक्रिया

- अ) शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड द्वारा बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षकों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा के संचालन हेतू परीक्षक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- ब) पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा के लिए परीक्षक बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—
 - प्रश्न पत्र—1 और प्रश्न पत्र—2 की उत्तर पत्रिकाओं का उन्हीं परीक्षकों द्वारा दोहरा मूल्यांकन किया जाएगा, जिन्होंने प्रश्न पत्र निर्धारित किए हैं। परीक्षकों द्वारा अंक सूची सीधे संबंधित विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कुलसचिव को भेजी जाएगी।
 - 2. संबंधित उत्तर पत्रिकाओं के मूल्यांकन में दोनों परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों में 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर होने पर, उनका मूल्यांकन तीसरे परीक्षक द्वारा किया जाएगा। तीसरे परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों को परिणामों की घोषणा के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कुलसचिव के पास भेजा जाएगा।
 - 3. मौखिक परीक्षा (प्रतिपक्षीय प्रस्ताव) परीक्षकों के एक पैनल की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—
 - विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो परीक्षक (विषय विशेषज्ञ)
 - मार्गदर्शक / सह-मार्गदर्शक
 - i. यदि अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न पत्र में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता / करती है, तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
 - ii. यदि अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में पीएच.डी.—पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता / होती है, तो उसे छः माह के पश्चात पूरी परीक्षा में बैठने के दो और अवसर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, पूरक परीक्षा में बैठने / भाग लेने में असमर्थ अभ्यर्थियों को अगली नियमित परीक्षा में बैठना होगा, तथा उसके पश्चात उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - iii. यदि दूसरी बार पीएच.डी.-पूर्व परीक्षा में बैठने पर भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होता / होती है, तो उसका अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

18. मार्गदर्शक का बदलना

मार्गदर्शक बदलने की अनुमित दो वर्ष की अविध पूरा होने से पहले दी जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों में मार्गदर्शक बदलने के लिए, मार्गदर्शक तथा / अथवा अभ्यर्थी को सभी तथ्यों को शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड के समक्ष उनकी राय के लिए प्रस्तुत करना होगा। शोध अध्ययन बोर्ड / समिति का निर्णय और सिफारिशें अंतिम होंगी।

19. थीसिस प्रस्तृतिकरण

- ऐसे अभ्यर्थी जिसने अपने अस्थायी पंजीकरण की तिथि से नियत शोध कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और थीसिस प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा समाप्त होने से न्यूनतम तीन माह पहले, विश्वविद्यालयी प्रक्रियाओं के अनुसार थीसिस प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए मार्गदर्शक/संस्थान प्रमुख के माध्यम से थीसिस के सारांश की पांच प्रतियों के साथ एक आवेदन संबंधित शोध अध्ययन बोर्ड/सिमित के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- अनुमोदन के पश्चात, अनुमोदित अंतिम सारांश (फाइनल सिनोप्सिस) की हार्ड कॉपी/सीडी की चार प्रतियां शोध/डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड/मूल्यांकन समिति को भेजी जाएंगी, जिसके द्वारा पीएच.डी. थीसिस पर निर्णय लेने के लिए परीक्षक बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसे थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व तैयार रखा जाएगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम सारांश प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर विश्वविद्यालयी प्रक्रियाओं के अनुसार अपने आवेदन के साथ शोध परिणामों को मूर्त रूप देते हुए थीसिस की पांच प्रतियां जमा करनी होंगी।
- प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी थीसिस के साथ अपनी पीएच.डी. डिग्री से संबंधित विषय पर उसके द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों तथा अपने विषय या विषय की किसी सजात शाखा के संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए किए गए अन्य योगदान का विवरण भी प्रस्तुत कर सकता है।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी थीसिस के साथ, अपने मार्गदर्शक / मार्गदर्शकों (जिसके तहत उसने शोध कार्य किया हो) द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि प्रस्तुत थीसिस, अभ्यर्थी द्वारा उसके तहत अध्ययन की अविध के दौरान किए गए शोध कार्य का एक लेखाजोखा है, और इससे पहले किसी भी डिग्री या डिप्लोमा, एसोसिएटशिप / फेलोशिप या किसी अन्य ऐसी डिग्री प्रदान करने के लिए इसे आधार नहीं बनाया गया है।
- फिर भी यदि, प्रस्तुत की गई थीसिस के किसी भी भाग को पहले किसी शोध कार्य के लिए डिग्री प्रदान करने का आधार बनाया गया हो, तो अभ्यर्थी थीसिस के ऐसे भाग के बारे में, जिसे पहले डिग्री प्रदान करने के लिए आधार बनाया गया हो, प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखित कथन व्यक्त करेगा।
- थीसिस प्रस्तुत करने के साथ अभ्यर्थी को विभागाध्यक्ष, संस्थान प्रमुख, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और वित्त अनुभाग (जैसा भी लागू हो) से "अदेयता प्रमाणपत्र" भी प्रस्तुत करने होंगे।

20. पीएच.डी. परीक्षा

पीएच.डी. थीसिस पर अधिनिर्णय लेने के लिए शोध/डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड/पीएच.डी. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित परीक्षकों के पैनल से विश्वविद्यालय द्वारा दो बाह्य सदस्यों की नियुक्ति कर परीक्षक बोर्ड का गठन किया जाएगा। मार्गदर्शक द्वारा परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, शोध/डॉक्टेरेट अध्ययन बोर्ड/मूल्यांकन समिति, मार्गदर्शक के अलावा परीक्षक बोर्ड के पैनल में से किसी को भी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता/सकती है। बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय के बाहर से होने चाहिए, जो विषय विशेषज्ञ होने के साथ—साथ मार्गदर्शक के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

थीसिस पर अधिनिर्णय लेने के लिए नियुक्त प्रत्येक बाह्य परीक्षक थीसिस की प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजेगा। ऐसी रिपोर्टों में निम्नांकित सम्मिलित होना चाहिए :--

- अ) अभ्यर्थी के कार्य का छिद्रान्वेषी विवरण, जैसा कि थीसिस में सिन्निहित है और ज्ञान की उन्नित की दिशा में इसके योगदान से संबंधित कार्य का मूल्यांकन।
- ब) किसी बिंद् के स्पष्टीकरण के लिए मौखिक परीक्षा में पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का विवरण।
- स) निश्चित सिफारिशें कि क्या पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं।

अध्यक्ष द्वारा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ—साथ परीक्षक बोर्ड की समेकित सिफारिशों को पीएच.डी. मूल्यांकन समिति / बोर्ड को भेजा जाएगा।

यदि दोनों परीक्षक निश्चित रूप से डिग्री प्रदान करने के खिलाफ सिफारिश करते हैं, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि एक परीक्षक निश्चित रूप से डिग्री प्रदान करने के खिलाफ सिफारिश देता है, तो थीसिस को तीसरे बाह्य परीक्षक को भेजा जा सकता है, जो शोध / डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड / पीएच.डी. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से बाहर का होगा। तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट अनुकूल होने पर अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाएगा और रिपोर्ट के अनुकूल नहीं होने पर थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यदि किसी परीक्षक द्वारा विशिष्ट कारणों के साथ सिफारिश की जाती है (जैसे कि, उपयुक्त संशोधनों के पश्चात थीसिस को फिर से प्रस्तुत किया जाए), तो अध्यक्ष द्वारा इसके बारे में कुलसचिव पीएच.डी. (नर्सिंग) मूल्यांकन को प्रेषित किया जाएगा, जो अभ्यर्थी को उपयुक्त संशोधनों के साथ थीसिस को सूचना की तिथि से छः माह के अन्दर पुनः प्रस्तुत करने के लिए सूचित

करेंगे। उपयुक्त संशोधनों के साथ पुनः प्रस्तुत थीसिस को उसी परीक्षक को भेजा जाएगा और उस पर प्राप्त रिपोर्टों को कुलसचिव मूल्यांकन / पीएच.डी. मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

फिर भी, किसी भी अभ्यर्थी को दो से अधिक बार थीसिस प्रस्तृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात थीसिस को किसी भी रूप में प्रकाशित किया जा सकता है।

21. मौखिक परीक्षा

मौखिक परीक्षा सभी परीक्षकों से थीसिस पर संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार गठित बोर्ड द्वारा किया जाएगा :—

- i. मार्गदर्शक / अध्यक्ष
- ii. मार्गदर्शक / सह-मार्गदर्शक (यदि मार्गदर्शक अध्यक्ष नहीं है)
- iii. मौखिक परीक्षा के दौरान कम से कम एक बाह्य परीक्षक उपस्थित रहेगा। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, जहां कोई भी बाह्य परीक्षक मौखिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता हो, कुलपति द्वारा शोध/डॉक्टरेट अध्ययन बोर्ड/पीएच.डी. मूल्यांकन समिति द्वारा गठित पैनल में से किसी भी बाह्य विकल्प परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

मौखिक परीक्षा में केवल संबंधित विभागों / संस्थानों के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

मौखिक परीक्षा मुख्य रूप से अभ्यर्थी की थीसिस के विषय की समझ का परीक्षण, जिसमें शोधकर्ता द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली और अध्ययन के सामान्य क्षेत्र में उसकी क्षमता शामिल हैं, करने के लिए आयोजित की जाती है। चूंकि परीक्षकों द्वारा थीसिस के बारे में उठाए गए बिंदुओं को मौखिक परीक्षा के दौरान स्पष्ट करना होता है, अतः थीसिस पर अधिनिर्णय लेने वाले परीक्षकों की रिपोर्ट मौखिक परीक्षा के लिए गठित बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के दौरान अपनी शोध परियोजना से संबंधित सभी संबंधित आलेख, सामग्री और तैयारी के लिए प्रयुक्त सामग्री आदि प्रस्तुत करनी होगी।

मौखिक परीक्षा के लिए गठित बोर्ड के सदस्य विशेष रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक है या नहीं और इसे स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं।

मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि के पश्चात पुनः मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमित दी जा सकती है। किसी भी अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में बैठने के दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे।

22. पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित करना

मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित करने के लिए निम्नांकित आधार पर सिफारिशों को समेकित किया जाएगा :-

- i. थीसिस पर अधिनिर्णय लेने वाले परीक्षकों की रिपोर्ट
- ii. मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन

समेकित और व्यक्तिगत रिपोर्टों को अध्यक्ष द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव पीएच.डी. (मूल्यांकन) को आगे प्रषित किया जाएगा। इन रिपोर्टों के आधार पर, कुलपति द्वारा सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

23. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुलग्नकों की सूची

- 1. अनुलग्नक I शुल्क संरचना
- 2. अनुलग्नक II अभ्यर्थी के नर्सिंग में पीएच.डी. के लिए चयन के पश्चात आवेदन पत्र
- 3. अनुलग्नक III संलग्न किए जाने वाले आलेखों की सूची
- 4. अनुलग्नक IV पीएच.डी. विषय के पंजीकरण के लिए प्रोफार्मा
- 5. अनुलग्नक V थीसिस प्रोटोकॉल / प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशानिर्देश
- 6. अनुलग्नक VI ग्रंथ सूची लिखने की शैली
- अनुलग्नक VI थीसिस तैयार करने के लिए दिशानिर्देश
- अनुलग्नक VI विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त मार्गदर्शकों की सूची

24. पीएच.डी. पाठ्यक्रम

नर्सिंग नायकत्व सहित नर्सिंग विज्ञान एवं सैद्धांतिक विकास (नर्सिंग साइंस एंड थ्योरी डेवलपमेंट विद नर्सिंग लीडरशिप)

संपर्क : 75 घंटे स्व–अध्ययन : 45 घंटे अनुदेश हेत् कुल घंटे : 120 घंटे (8 क्रेडिट)

1. स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में नर्सिंग नायकत्व : संपर्क घंटे (20) : स्व—अध्ययनः 10 घंटे (2 क्रेडिट) 2. नर्सिंग विज्ञान का दर्शन और सैद्धांतिक दृष्टिकोण : संपर्क घंटे (15) : स्व—अध्ययनः 15 घंटे (2 क्रेडिट)

3. नर्सिंग सिद्धांत और सैद्धांतिक विकास : संपर्क घंटे (40) : स्व-अध्ययनः 20 घंटे (4 क्रेडिट)

1. स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में नर्सिंग नायकत्व – 20 घंटे

पाठ्यक्रम अवलोकन

यह पाठ्यक्रम डॉक्टरेट छात्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति तथा नर्सिंग पेशे के विकास के विश्लेषण, विकास और कार्यान्वयन में नर्सिंग विज्ञान और नायकत्व की भूमिका को पहचानने और उसका उपयोग करने हेतु तैयार करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे :-

- संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति के संबंध में स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक प्रभावों, स्वास्थ्य सें संबंधित अर्थव्यवस्था और राजनीति का विश्लेषण करना
- स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति के प्रभाव का सामान्यतः स्वास्थ्य सेवाओं की और विशेष रूप से नर्सिंग सेवाओं की संरचना, सामग्री, वितरण और वित्तपोषण के साथ समन्वय स्थापित करना
- 3. नायकत्व सिद्धांतों का विश्लेषण करना
- निर्सिंग पेशे और लोगों के स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए निर्सिंग नायक के लिए आवश्यक नायकत्व भूमिकाओं की पहचान करना

पाठ्यक्रम

- I. वर्तमान स्वास्थ्य मुद्दे और नीतियां 8 घंटे
 - वर्तमान स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण राष्ट्रीय और वैश्विक
 - 2. भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली
 - 3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जनसंख्या नीति और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियां
 - 4. नर्सिंग नीति से संबंधित स्वास्थ्य नीति के मुद्दे स्वास्थ्य नीति में नर्सिंग सेवाओं का विकास
 - स्वास्थ्य देखभाल वितरण में विधिक अधिकार और भूमिका नर्सिंग से संबंधित मौजूदा कानून; नई और उभरती हुई भूमिकाओं जैसे नर्स व्यवसायी, निजी अभ्यास (नर्सिंग होम) के लिए कानून
 - सामाजिक व्यवस्था और स्वास्थ्य नीति
 - 7. राजनीति और स्वास्थ्य नीति नर्सिंग पेशे के विकास के लिए जनमत तैयार करना
 - 8. स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य नीति (स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग की अर्थव्यवस्था)
 - 9. स्वास्थ्य बीमा

II. नर्सिंग नायकत्व – 8 घंटे

- 1 नायकत्व सिद्धांत
- 2. नर्सिंग नायकत्व और निर्णय लेना
- नर्सिंग नायकत्व और परिवर्तन प्रक्रिया
- 4. नर्स नायकों द्वारा मानव संसाधन नियोजन और प्रबंधन
- 5. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पेशा निर्माण पक्ष समर्थन, जनमत
- नर्सिंग नैतिकता
 - भारत में नर्स आचार संहिता, पेशेवर आचरण
 - नर्सिंग मानक, नर्सिंग अभ्यास, मानक और गुणवत्ता आश्वासन
- 7. मानवीय संबंध
 - जनमानस की प्रतिष्ठा का सम्मान करना
- संचार कौशल

III. नर्सिंग सूचना विज्ञान - 4 घंटे

नर्सिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली, साहित्यिक खोज के माध्यम से संस्थानों को एक दूसरे के साथ जोड़ना (नेटवर्किंग)

- नर्सिंग विश्वविद्यालय, इंटरनेट, साहित्यिक खोज
- कंप्यूटर के बारे में आधारभूत ज्ञान समीक्षा

या

- 1. कंप्यूटर और नर्सिंग का अवलोकन
- 2. कंप्यूटर सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट, नर्सिंग संसाधन
- 3. नर्सिंग सूचना विज्ञान एवं स्वास्थ्य देखभाल नीति, निजता, गोपनीयता और सुरक्षा
- 4. नर्सिंग सूचना विज्ञान सिद्धांत, नैदानिक सूचना प्रणाली
- आवेदन अभ्यास अनुप्रयोग, प्रशासनिक अनुप्रयोग (नर्सिंग प्रबंधकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी), शैक्षिक अनुप्रयोग और शोध अनुप्रयोग
- 6. सूचना विज्ञान का उपभोक्ता उपयोग
- 7. सूचना विज्ञान का भविष्य

2. नर्सिंग विज्ञान का दर्शन और सैद्धांतिक दृष्टिकोण : 15 घंटे

पाठ्यक्रम अवलोकन

यह एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम है। यह नर्सिंग कार्य-क्षेत्र के वैचारिक और अनुभवजन्य आधार में छात्रों के एकीकृत विश्लेषण को शुरू करता है। यह पाठ्यक्रम छात्र को विज्ञान के दर्शन और इतिहास के संदर्भ में नर्सिंग विज्ञान के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाता है। (नर्सिंग का विज्ञान संवर्ग के रूप में अध्ययन)

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे :--

- 1. समकालीन नर्सिंग विज्ञान की ऐतिहासिक मूल और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना
- 2. नर्सिंग प्रतीयमानों की जांच को प्रभावित करने वाले जांच प्रतिमानों की खोज करना
- 3. नर्सिंग विज्ञान के विकास पर वैज्ञानिक मुद्दों के प्रभाव का पता लगाना

पाठ्यक्रम

- 1. पाठ्यक्रम का परिचय, दर्शन का अध्ययन, दर्शन का इतिहास
- 2. नर्सिंग विज्ञान का इतिहास और दर्शन
- 3. विज्ञान और शास्त्र के रूप में नर्सिंग (उत्पत्ति और विकास)
- 4. नर्सिंग ज्ञान और विकास
 - ऐतिहासिक मूल
 - नर्सिंग के कार्य-क्षेत्र
 - नर्सिंग में प्रतिमान
 - ज्ञान का विकास
- 5. नर्सिंग विज्ञान के विकास के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले प्रतिमान
- 6. नर्सिंग में ज्ञानवर्द्धन के विभिन्न दृष्टिकोणों की ज्ञान-मीमांसीय और सत्ता-मीमांसा मान्यताएं

3. नर्सिंग सिद्धांत और सैद्धांतिक विकास : 40 घंटे

पाठ्यक्रम अवलोकन

यह पाठ्यक्रम सैद्धांतिक संविन्यास के विश्लेषण व मूल्यांकन, सैद्धांतिक घटकों के संकल्पनात्मक मॉडल में संश्लेषण और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल के शोधन की सुविधा के लिए अभिकल्पित किया गया है। इसके तहत सैद्धांतिक व व्यावहारिक नर्सिंग और नर्सिंग शोध के बीच अंतर संबंधों की जांच की जाएगी।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे :--

- 1. अवधारणा रणनीतियों और सैद्धांतिक विकास का वर्णन करना
- 2. नर्सिंग सिद्धांतों का अवलोकन करना
- 3. नर्सिंग व्यवहार में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन करना
- 4. नर्सिंग विज्ञान को प्रभावित करने वाले वैचारिक मॉडल विकसित करने और परीक्षण करने में कौशल प्रदर्शित करना

5. नर्सिंग में विज्ञान, सिद्धांत, अभ्यास और शोध के बीच अंतर संबंध की जांच करना।

पाठ्यक्रम

- 1. ज्ञान-मीमांशा (एपिस्टेमोलॉजी) 5 घंटे
 - अवधारणा, अभिव्यक्ति और सिद्धांत
 - सैद्धांतिक विकास रणनीतियां
 - सिद्धांतों का मूल्यांकन
 - अधिसिद्धांत
- 2. नर्सिंग सिद्धांत का अवलोकन 10 घंटे
 - सिद्धांत का अवलोकन
 - नर्सिंग सिद्धांत का महत्व
 - ऐतिहासिक अवलोकन
 - नर्सिंग में सिद्धांतों का वर्गीकरण
 - नर्सिंग में सेद्धांतिक विकास के मुद्दे
 - नर्सिंग सिद्धांत नर्सिंग सिद्धांत के विकास की अवधारणा का परीक्षण
- 3. नर्सिंग सिद्धांतों का अवलोकन 15 घंटे

सिद्धांतकार और सिद्धांत

- नर्सिंग ग्राहकों पर
- मानव-पर्यावरण के बीच अंतर संबंध पर
- बातचीत पर
- नर्सिंग चिकित्साविधान पर
- अन्य सिद्धांत

(4, 5, 6, 7 = 10 घंटे)

- 4. नर्सिंग सिद्धांतों का विश्लेषण और नर्सिंग सिद्धांतों का मूल्यांकन
- 5. नर्सिंग सिद्धांत और अभ्यास
- 6 नर्सिंग सिद्धांत और शोध
- 7. नर्सिंग में विज्ञान, सिद्धांत, अभ्यास और शोध के बीच अंतर संबंध।

4. शोध पद्धति और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी

संपर्क घंटे = 60 घंटे स्व-अध्ययन = 30 घंटे

- खंड—1 परिचयः ज्ञान अर्जन, समस्या हल करने और वैज्ञानिक विधि प्राप्त करने के तरीके। शोध परिभाषा, प्रकार, अभिलक्षण; शोध में प्रयुक्त शब्दाबली; शोध का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, और शोध एवं नर्सिंग नर्सिंग शोध के उद्देश्य, प्रयोजन और आवश्यकता, नर्सिंग में शोध का विकास, नर्सिंग में शोध के क्षेत्र। (3 घंटे)
- खंड—2 शोध प्रक्रिया अवलोकनः समस्या और शोध के उद्देश्यों, अवधारणाओं और संरचनाओं, चर मान्यताओं, परिभाषाओं का विवरण, परिकल्पना निरूपण और प्रकार, परिसीमन। (5 घंटे)
- खंड—2 संबंधित साहित्यिक समीक्षा के उद्देश्य और म्रोतः पुस्तकालय, ऑन—लाइन सर्च, विभिन्न सीडी—रोम से विवरणों की पुनर्प्राप्ति और दृश्य—श्रव्य संसाधनों का उपयोग। (5 घंटे)
- खंड-4 शोध दृष्टिकोण और प्रारूप (25 घंटे)
 - ऐतिहासिक दृष्टिकोण
 - सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण
 - गुणात्मक शोध दृष्टिकोण, नृवंशविज्ञान (एथनोग्राफी) और फेनोमोलॉजी
 - अधोमुखी, अनुप्रस्थीय और उद्धोधक अध्ययन लाभ और हानि
 - प्रायोगिक प्रारूप उद्देश्य, विशेषता, प्रारूप के प्रकार, पूर्व—प्रयोगात्मक और कल्प तथा असली कार्यान्वित प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध के चरण

- नमूनाकरण के तरीके आकार, मापदंड की जनसंख्या, नमूना मानदंडों की तकनीक, नमूना के आकार का निर्धारण
- विवरण संग्रहण उपकरण और तकनीक, प्रकार, उद्देश्य, विशेषताएं और उपयोग
- उपकरणों का माप / निर्माण उपकरणों का चयन / निर्माण, परीक्षण, वैधता और विश्वसनीयता
- विवरण संग्रहण की तकनीक तकनीक, गुणात्मक शोध के लिए प्रयुक्त उपकरण, अवलोकन, फोकस समूह परिचर्चा, माप और रिकॉर्ड विश्लेषण तथा क्षेत्रीय दौरे।

खंड-5 विवरण संग्रहण प्रक्रिया, विश्लेषण और व्याख्या तथा विवरण प्रबंधन (5 घंटे)

खंड-6 नर्सिंग शोध में नैतिक विचार (2 घंटे)

- सामान्य विचार
- दृष्टिकोण, प्रारूप और विवरण संग्रहण प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट नैतिक विचार
- नैतिक आचार समिति संरचना, भूमिका और महत्व
- नैतिक स्पष्टता हेतु दिशानिर्देश
- वैज्ञानिक और व्यावसायिक समुदाय (प्लेगरिज्म) के संबंध में नैतिक मुद्दे

खंड-7 गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण (10 घंटे)

- वर्णनात्मक, आनुमानिक और अग्रिम आंकडे
- प्राचलिक और अप्राचलिक तरीके
- बहुचर विश्लेषण

खंड-8 शोध निष्कर्षों का संचार (5 घंटे)

- शोध समीक्षक
- परियोजना प्रस्ताव के वित्तपोषण के लिए
- शोध का उपयोग

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./334/2020-21]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2020

F. No. 11-1/2019-INC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations namely:—

Short Title and Commencement.—

- i. These Regulations may be called the Indian Nursing Council (Guidelines for Starting Ph.D. in Nursing Program in the Universities approved by the Council), Regulations, 2020.
- ii. These Regulations shall come into force on the date of notification of the same in the Official Gazette of India.

Indian Nursing Council (Guidelines for Starting Ph.D. in Nursing Program in the Universities approved by the Council), Regulations, 2020

1. BACKGROUND

NHP 2017 recognizes the key role health research plays in the development of nation's health. The policy aims to strengthen governance systems so that nurses can assume leadership position, improve regulation of practice and strengthen the quality of nursing education. Doctoral education in nursing will prepare more qualified nurses who can meet the country's health and nursing care demand. Many universities in India are recognizing this need and plan to start Ph.D. Program in nursing. This necessitates uniform and standard curriculum and guidelines to run the program effectively and achieve the intended outcomes. Indian Nursing Council (Council for short) has prepared the Ph.D. curriculum and guidelines that will guide all universities who intend to start and promote doctoral education in nursing in their respective Universities.

2. PHILOSOPHY

NHP 2017 emphasizes the need to prepare nurses to function in specialty and super-specialty areas of tertiary care institutions with the proposed expansion of tertiary care services alongside expansion of medical colleges and starting new AIIMS centres nationwide. There is an acute shortage of nursing faculty in undergraduate and postgraduate nursing programs in India. Doctoral education is essential to prepare nurse scholars to improve the quality of nursing education and practice in India.

Doctoral education builds upon and extends competence acquired at the undergraduate and postgraduate levels, emphasizes theory development and research skills. The function of nurse scholars are to: assume leadership roles in complex healthcare and education systems, develop a theoretical and empirical base for nursing practice in both current and emerging health care systems, conduct nursing research and participate in developing healthcare policies. The entire thrust is on professional preparation in Nursing that could lead to evidence based practice for clinical effectiveness.

3. PURPOSE

Doctoral education is to prepare nurse scholars who will contribute both to the development and application of knowledge in nursing for enhancing quality of nursing education, research, practice and dissemination of nursing knowledge.

4. OBJECTIVES

The doctoral prepared nurse will be able to —

- Conduct research relevant to nursing.
- Develop nursing theories and nursing science
- Synthesize knowledge from nursing and other allied sciences to develop and test theory that affects health status
- Demonstrate the leadership skills in nursing practice, education and research.
- Disseminate the results of theory development and research.

5. ELIGIBILITY CRITERIA FOR UNIVERSITIES APPROVED BY THE COUNCIL TO START Ph.D. PROGRAM IN NURSING

The minimum criteria for a University to have approved Ph.D. degree program in Nursing is as follows:—

• The University must be approved by the Council under Section 10 of INC Act, 1947.

Deemed/Private University

• The University shall have minimum two guides (regular faculty) with Ph.D. qualification with relevant experience along with their research publications. (Refer page no. 3)

State Universities

• Every College of Nursing having M.Sc. (Nursing) approved by the University to start Ph.D. in Nursing shall have minimum of two Ph.D. degree holders in nursing regular faculty.

6. RESEARCH GUIDE

- Guides can select two scholars only every year but not more than 6 scholars at any given period of time
- Scholars can have co-guide from nursing or other disciplines if necessary
- The Ph.D. doctoral holders who are within health care disciplines can be appointed as co-guides.
- In Deemed University the guide should be from the same University
- In State University, the guide can be from any college within the same University

7. ELIGIBILITY CRITERIA FOR RESEARCH GUIDE

- Ph.D. degree in nursing with 5 years Post Graduate teaching experience with minimum 5 scientific publications in National/International Journals.
- Maximum age to be a guide shall be 65 years.

- Guide cannot have more than 6 candidates (including being Co-Guide) at any given point of time.
- Candidate can have Co-Guide from nursing or other discipline, if necessary.
- The Ph.D. doctorate holders who are not formal teachers can be appointed as Co-Guides.

8. RESEARCH SCHOLARS

- Full time research scholars are those who register for Ph.D. on full time basis and are not employed anywhere.
- Part time research scholars are those who are presently employed in any College/School/Hospital/ Institute/Nursing department within the University jurisdiction.
- The scholars can select the guide from the list of guides recognized by the respective University. (Annexure-VI)

9. (I) ELIGIBILITY CRITERIA FOR RESEARCH SCHOLARS

Applications are invited from eligible scholars who have obtained:—

- (a) M.Phil. (Nursing) or M.Sc. (Nursing) or a Post Graduate degree in Nursing recognized by Council with 3 years **teaching or Clinical experience** after M.Sc. (Nursing) for enrolment for Ph.D. in Nursing (part-time) under Faculty of Nursing in the respective University.
- (b) The scholars should have passed M.Sc. (Nursing) with a minimum of 60% marks.
- (c) Working in Teaching Institution/Hospital/Community Centre/Nursing Department within the University jurisdiction.

(II) Criteria for Selection

- (a) Selection for the Ph.D. Program will be based on merit either by entrance or by M.Sc. (Nursing) (minimum 60% marks).
- (b) If the University opts to conduct entrance examination then selection for the Ph.D. Program of the candidate will be based on
 - i. Entrance test marks obtained out of 90 marks. (Minimum weightage pass marks for entrance will be 60% of 90 i.e. 54).
 - ii. 5 marks for candidates possessing M.Phil. in Nursing.
 - iii. 5 marks weightage for publications.

10. RESERVATION IN ADMISSION: As per UGC guidelines.

11. DURATION:

Full time: Three years, maximum of 6 years.

Part time: Five years.

A candidate can register for Ph.D. course on part time basis.

- (a) A candidate should complete research work and submit the thesis to the University within five years from the date of provisional registration.
- (b) Maximum period for submission of thesis will be Seven years from the date of provisional registration subject to the approval from the Board of Research Studies/Doctoral Studies on the recommendations of the guide. There will be no provision for further extension of the period.

Under extraordinary circumstances, affecting a student warranting extension of period for submission of thesis, the student should submit an application to the Registrar (Evaluation) through the guide who will refer the same to the Board of Research Studies/Doctoral Studies for its opinion, which will be submitted to the High Power Committee. The decision of the Vice Chancellor in the matter shall be final.

12. CALENDAR OF EVENTS

- Provisional registration 1st July every year.
- Submission of half yearly progress report 15th July every year/15th January every year.

- No two half yearly progress report should be submitted simultaneously.
- Conducting the Pre-Ph.D. examination after the approval of 1st and 2nd half yearly progress reports and completion of one year from the date of provisional registration.
- Exact date of the examination will be notified by the university.
- Confirmation of registration after successfully completing the Pre-Ph.D. examination.
- Submission of ethical clearance certificate within one year after provisional registration.
- Ethical clearance/permission from the Institution/Concerned Authorities should be obtained from where data is being collected.
- Submission of final synopsis of research work leading to Ph.D. degree after approval of all half yearly reports and on permission to submit the synopsis of Ph.D. registration committee.
- Submission of Ph.D. Thesis along with the application within 6 months after the approval of the final synopsis and permission to be sought by Ph.D. registration committee to submit the thesis.
- Final Viva-Voce examination after the acceptance and approval of Ph.D. thesis by the examiners (date to be notified by the University).

13. PROCEDURE FOR REGISTRATION

- I. Selected Candidates applying for registration shall submit the duly filled Registration form through Head of the Research/Nursing department or College of Nursing within the stipulated time along with the prescribed fee. The candidate shall furnish the information detailed below:
 - a) Qualification and details of previous study and research, if any, and full particulars of the publications to his/her credit in accredited journals. (attested copies to be furnished)
 - b) Name and address of the recognized Guide/Co-Guide under whom the candidate proposes to carry out research.
 - c) Name of the department and institution where the candidate proposes to work and to conduct research.
 - d) Title and synopsis of the proposed research work.
- II. Candidates in service shall forward application along with the consent of the guide with name, signature & seal and a No objection Certificate from the Head of the Department and Head of the Institution where the candidate is working. (Place of work) while submitting the application along with the documents mentioned under schedule for the candidates.
- III. All applications received by the University before the stipulated time and date shall be placed before the Board of Research/Doctoral Studies. The Board/Committee shall examine the applications and after screening process shall recommend to the University for Provisional Registration within three months from the last date notified for the receipt of applications.

Provisional registration shall be effective from the date mentioned as the last date for payment of prescribed fees in the concerned specialty for the selected candidate.

IV. No candidate shall, without previous permission of the respective Board/Committee join any other course of study or appear for any other examination conducted by the University or by any other University during the period of registration.

14. BOARD OF RESEARCH/DOCTORAL STUDIES

The Board/Committee will consist of

- a) Dean of the Faculty of Nursing
- b) Selected Ph.D. qualified Committee Members
- c) One subject expert.

15. PROGRESS REPORT

After provisional registration, every candidate shall submit half yearly progress report regularly through the guide.

Every such half yearly report shall be submitted for the period from 1st January to the end of June and from 1st July to the end of December. However, the first report for the fraction of six months period shall be submitted ending either in June or December.

The half yearly progress report shall cover the following aspects:—

- a) Progress in the review of literature,
- b) New data acquired or theoretical background/techniques developed,
- c) Progress/Standardization in research methodology,
- d) Discussion of the work done.

If the candidate fails to submit two consecutive half yearly progress reports in time, his/her provisional registration shall stand cancelled.

If two consecutive half yearly progress reports are not satisfactory, the Board/respective Committee shall recommend to the University for Cancellation of the registration.

16. PRE-Ph.D. EXAMINATION

The provisional registration of the candidate shall be confirmed only after he/she has passed the Pre-Ph.D. examination which shall be conducted after the completion of one year from the date of provisional registration of the candidate.

The scheme of Pre-Ph.D. examination to be conducted by the University shall be as follows:—

Sl.No.	Subject	Duration	Marks
Paper I	Research Methodology & Applied Statistics	3 hours	100
Paper II	Nursing Science & Theory Development	3 hours	100
	Seminar/Term paper in the area of research (Internal assessment)	_	100
	Viva Voce (Proposal defense)*	_	100

^{*&}gt;= 60% of marks will be considered as pass.

<u>Note</u>: 70% attendance is compulsory for contact hours. If the student does not have 70%, he/she will not be allowed to appear for the Pre-Ph.D. examination, however they have to make up for the same next academic year.

The syllabi for both the papers shall be as prescribed by the Indian Nursing Council.

Scope for changing the research topic: The research topic can be changed within one year.

17. PROCEDURE FOR PRE-Ph.D. EXAMINATION

- a) The Board of Research/Doctoral Studies shall prepare a panel of both external & internal examiners and will constitute the Board of Examiners for the conduct of the Pre-Ph.D. examination.
- b) The Board of Examiners for the Pre-Ph.D. examination consists of the following:—
 - 1. There shall be double valuation of the answer scripts of Paper I and Paper II by the same examiners who have set the question papers. The marks list shall be sent by the examiners directly to Registrar (Evaluation) of the University concerned.
 - If the difference of the marks in valuation between the two examiners exceeds 15% of the concerned
 answer scripts, the same will be valued by the third examiner. The marks awarded by the third
 examiner shall be sent to Registrar (Evaluation) of the University concerned for the announcement of
 results.
 - 3. The Viva-Voce (proposal defense) examination shall be conducted in presence of the panel consisting of:—
 - Two examiners (Subject Experts) appointed by the University
 - Guide/Co-Guide
 - i. The candidate shall be declared as successful in the examination if he/she secured not less than 60% of marks in each paper.

- ii. In case the candidate is not successful in the Pre-Ph.D. examination in the first attempt he/she may be given two more chances to appear for entire examination after a period of six months. Further, if he/she is unable to attend or appear in the supplementary examination, then he/she has to appear in the next regular examination, after that he/she will not be permitted to sit in the examination.
- iii. If the candidate is not successful in the Pre-Ph.D. examination, even in the second appearance, his/her provisional registration shall stand cancelled.

18. CHANGE OF GUIDE

Change of guide may be allowed within a period of less than two years. In extraordinary circumstances warranting change of guide, the guide and/or the student should place the facts before the Board of Research/ Doctoral studies for its opinion. The decision and the recommendations of the Board of Research Studies/ Committee shall be final.

19. SUBMISSION OF THESIS

- Any candidate who has completed the minimum period of three years doing prescribed research from the date
 of his/her provisional registration and not less than three months before the expiry of the maximum period
 prescribed for submission of thesis may submit an application along with five copies of synopsis of the thesis
 through the Guide, the Head of the institution to the respective Board of Research Studies/Committee for
 permission to submit the thesis as per the University procedures.
- After the approval, four copies of the approved final synopsis (hard copy/CD) shall be sent to Board of Research/Doctoral Studies/Evaluation Committee who shall proceed with the Constitution of Board of Examiners for the adjudication of the Ph.D. thesis and keep it ready prior to the submission of the thesis.
- Every candidate shall submit with his/her application, five copies of the thesis embodying the results of the
 research carried out by him/her within six months after the submission of the final synopsis as per the
 University procedures.
- A candidate may also submit along with his/her thesis papers published by him/her embodying the results of investigation for the Ph.D. degree and also any other contribution/s to the knowledge of his/her subject or any cognate branch of the subject.
- Every candidate shall submit with his/her thesis, a certificate from the guide/s under whom he/she worked, that the thesis, submitted is a record of research work done by the candidate during the period of study under him/her that it has not previously formed the basis for the award of any degree or diploma, associateship/fellowship or any other similar award.
- If, however, the thesis submitted has formed in part the basis for the award of previous research degree the candidate shall clearly set forth in a preface or written statement the portion(s) which have formed the basis for the award of the previous degree.
- Along with the thesis the candidate will also produce a "No Due Certificate" from the Head of the Department and Head of the Institution and from the University Librarian and Finance Section if applicable.

20. Ph.D. EXAMINATION

For the adjudication of Ph.D. thesis there shall be a Board of Examiners of two external members to be chosen by the University, from the panel of examiners recommended by the Board of Research/Doctoral Studies/Ph.D. Evaluation Committee. The guide shall be the Chairperson of the Board of Examiners. However, under extraordinary circumstances, Board of Research/Doctoral Studies/Evaluation Committee may appoint a Chairperson other than the Guide from the panel of Board of Examiners. The external examiners must be from outside the University who are subject experts who fulfill the criteria of a guide.

Each external examiner appointed to adjudicate the thesis shall send the report to the Chairperson within two months from the date of receipt of the thesis. Such reports should include:—

- a) A critical account of the work of the candidate as embodied in the thesis and the evaluation of the work in term of its contribution to the advancement of knowledge.
- b) Details of any questions to be asked or points to be clarified at the Viva-Voce examination.
- c) Definite recommendations as to whether the Ph.D. degree should be awarded or not.

The Chairperson shall forward the report of the examiners along with the consolidated recommendations of the Board of Examiners to the Ph.D. Evaluation Committee/Board.

If both the examiners give definite recommendations against the award of the degree, the thesis shall be rejected. If one of the examiners gives a definite recommendation against the award of the degree the thesis may be referred to third external examiner, from out of the panel recommended by the Board of Research/Doctoral Studies/Ph.D. Evaluation Committee. If the report of the third examiner is favorable, then the candidate shall be eligible to appear for the Viva-Voce examination and if it is not favorable, then the thesis shall be rejected.

If one of the examiners makes qualified recommendations with valid reasons (for e.g. to resubmit the thesis after suitable modifications), the Chairperson shall communicate the same to the Registrar Ph.D. (Nursing) Evaluation, who will in turn intimate the candidate for resubmitting the thesis with the suitable modifications within six months from the date of communication. The resubmitted thesis with suitable modifications will be sent to the same examiner and the reports received thereon by the Chairperson shall be communicated to the Registrar Evaluation/Ph.D. Evaluation Committee.

No candidate shall, however, be permitted to submit the thesis more than two times.

The thesis may be published in any form after obtaining necessary permission from the University.

21. VIVA-VOCE EXAMINATION

Viva-Voce examination shall be conducted after the receipt of the satisfactory report, on the thesis from all the examiners. The Viva-Voce examination shall be conducted by a Board constituted as follows:—

- i. Guide/Chairperson
- ii. Guide/Co-Guide (in case Guide is not the Chairperson)
- iii. At least one of the external examiners shall be present at the Viva-Voce examination. However, under extraordinary circumstances, where any external examiner cannot be present at the Viva-Voce examination, the Vice-Chancellor may appoint any external substitute examiner from the panel constituted by the Board of Research/Doctoral Studies/Ph.D. Evaluation Committee.

Teachers and research scholars of the concerned departments/institutions may be invited as observers only to attend the Viva-Voce examination.

The Viva-Voce examination is primarily designed to test the understanding of the candidate of the subject matter of the thesis including methodology employed and his/her competence in the general field of study. Since the points raised by the examiners of thesis are to be clarified during the Viva-Voce examination, the report of the examiners who adjudicated the thesis will be made available to the Board for Viva-Voce examination. The candidate shall produce all the relevant documents, materials, and preparations etc., concerned with the research project during Viva-Voce examination.

Members of the Board for the Viva-Voce examination shall report specifically on whether the candidate's performance on the examination is satisfactory and therefore be considered as accepted or nor accepted.

A candidate who is not successful at the Viva-Voce examination may be permitted to undergo the Viva-Voce examination for a second time after a period of three months. No candidate shall be permitted to take the Viva-Voce examination on more than two occasions.

22. AWARD OF Ph.D. DEGREE

The degree will be awarded by the University, after the candidate successfully completes Viva-Voce examination. The Chairperson shall consolidate the recommendations for the award of Ph.D. degree based on the following:—

- i. The report of examiners who adjudicated the thesis,
- ii. Evaluation of the candidate's performance in the Viva-Voce examination.

The Chairperson shall forward the consolidated and individual reports with recommendation to the Registrar (Ph.D. Evaluation) of the University. Based on these reports, the University shall award the Ph.D. degree after the recommendations are approved by the Vice-Chancellor.

23. LIST OF ANNEXURES AS PRESCRIBED BY THE UNIVERSITY

- 1. Annexure I Fee Structure
- 2. Annexure II Application Form after selection of the candidates for Ph.D. in Nursing
- 3. Annexure III List of Documents to be enclosed
- 4. Annexure IV Performa for registration of Ph.D. Topic

- 5. Annexure V Guidelines for preparing thesis protocols/proposal
- 6. Annexure VI Style of writing bibliography
- 7. Annexure VI Guidelines for preparing thesis
- 8. Annexure VI List of recognized guides by the University

24. Ph.D. CURRICULUM

Nursing Science and Theory Development including Nursing Leadership

Contact : 75 hrs Self-Study : 45 hrs

Total hours of instruction : 120 hrs (8 credits)

Nursing Leadership in Health Care Delivery System : Contact hrs (20): Self-study: 10 hrs (2 credits)
 Philosophy of Nursing Science and : Contact hrs (15): Self-study: 15 hrs (2 credits)

Theoretical Perspectives

3. Nursing Theories and Theory Development : Contact hrs (40): Self-study: 20 hrs (4 credits)

I. NURSING LEADERSHIP IN HEALTH CARE DELIVERY SYSTEM - 20 hrs

Course Overview:

This course is designed to prepare the doctoral student to identify and utilize the nursing science and leadership roles as a basis for analyzing, developing and implementing national health policy and population policy and development of nursing profession.

Course Objectives:

Upon completion of this course the student will be able to:—

- 1. analyze the health problems and societal forces, health economics and politics in relation to corresponding national health policy and population policy
- 2. relate the impact of health policy and population policy to structure, content, distribution and financing of health services in general and nursing services in particular
- 3. analyse the leadership theories
- 4. identify the leadership roles necessary for the nursing leaders for developing nursing profession and people's health

Syllabus:

- I. Current Health Issues and Policies 8 hrs
 - 1. Analysis of current health problems national & global
 - 2. Health care delivery system in India
 - 3. National health policy, population policy and alternative systems of medicine
 - 4. Health policy issues relevant to nursing practice Development of nursing services in health policy
 - 5. The functions and roles of law in health care delivery Existing legislations related to nursing. Laws for new and emerging roles (e.g.) Nurse practitioner, private practice (nursing homes)
 - 6. Social system and health policy
 - 7. Politics & health policy Lobbying for development of nursing profession
 - 8. Health economics and health policy (Economics of health care and nursing)
 - 9. Health insurance
- II. Nursing Leadership 8 hrs
 - 1. Leadership theories
 - 2. Nursing leadership and decision making

- 3. Nursing leadership and change process
- 4. Human resource planning and management by nurse leaders
- 5. Profession building in health care system Advocacy, Lobbing
- 6. Nursing ethics
 - Code of ethics, professional conduct for nurses in India
 - Nursing standards, nursing practice, standards and quality assurance
- 7. Human relations
 - Valuing human being
- 8. Communication skills
- III. Nursing Informatics 4 hrs
 - Nursing management information system, networking institutions through literature search
 - Nursing Universities, Internet, Literature search
 - Knowledge about basic computers Review

OR

- 1. Overview of Computers and Nursing
- 2. Computer Systems Data processing, the internet, a nursing resource
- 3. Nursing Informatics and health care policy, privacy, confidentiality and security
- 4. Nursing informatics theory, clinical information systems
- 5. Applications Practice applications, Administrative application (information technology for nursing managers), educational applications and Research applications.
- 6. Consumer use of informatics
- 7. The future of informatics

II. PHILOSOPHY OF NURSING SCIENCE AND THEORETICAL PERSPECTIVES – 15 hrs

Course Overview:

This is an introductory course. It begins the students' integrative analysis of the conceptual and empirical base of the domain of nursing. This course enables the student to trace the historical development and current status of nursing science in the context of the philosophy and history of science. (Study of nursing as a scientific discipline)

Course Objectives:

Upon completion of this course, the student will be able to:—

- 1. analyse the historical roots and current status of contemporary nursing science
- 2. explicate the paradigms of inquiry which influence the investigation of nursing phenomena
- 3. explore the impact of scientific issues on the development of nursing science

Syllabus:

- 1. Introduction to the course, study of philosophy, history of philosophy
- 2. History and philosophy of nursing science
- 3. Nursing as a science and a discipline (Evolution and development)
- 4. Nursing knowledge and development
 - Historical roots
 - Domains of nursing
 - Paradigms in nursing
 - Knowledge development

- 5. Paradigms that influence approach to nursing science development.
- 6. Epistemological and ontological assumptions of diverse approaches to knowledge generation in nursing.

III. NURSING THEORIES AND THEORY DEVELOPMENT - 40 hrs

Course Overview:

This course is designed to facilitate the refinement of the critical skills necessary for analyzing and evaluating theoretical formulations, synthesizing theoretical components into conceptual models and developing testable hypotheses. The interrelationships among theory and practice and research in nursing will be examined.

Course Objectives:

Upon completion of this course, the student will be able to:—

- 1. to describe strategies for concept and theory development
- 2. to get overview of nursing theories
- 3. to evaluate theories used in nursing practices
- 4. demonstrate skill in developing and testing conceptual models that will impact nursing science
- 5. examine interrelationship among science, theory, practice and research in nursing.

Syllabus:

- 1. Epistemology -5 hrs
 - Concepts, statements and theories
 - Strategies for theory development
 - Evaluation of theories
 - Metatheory
- 2. Overview of theory in nursing 10 hrs
 - Overview of theory
 - Importance of theory in nursing
 - Historical overview
 - Classification of theories in nursing
 - Issues in theory development in nursing
 - Nursing Theory an examination of the concept development of nursing theory.
- 3. Overview of nursing theories 15 hrs

The theorists and the theories

- On nursing clients
- On human being Environment interactions
- On interactions
- On nursing therapeutics
- Other theories

(4, 5, 6, 7 = 10 hrs)

- 4. Analysis of Nursing theories & evaluation of nursing theories
- 5. Nursing theory and practice
- 6. Nursing theory and research
- 7. Inter relationships between science, theory, practice and research in nursing.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

IV. RESEARCH METHODOLOGY AND APPLIED STATISTICS

Contact hrs = 60 hrs

Self-study = 30 hrs

- Unit –I Introduction: Methods of acquiring knowledge, problem solving and scientific method. Research definition, types, characteristics, terminology used in research, purpose, scope, and Research & Nursing: Purpose scope and need for Nursing Research, development of research in nursing, areas of nursing research. (3 hrs)
- Unit II Research process overview: Statement of the problem and research objectives, concepts and constructs, variables assumptions, definitions hypotheses formulation and types, delimitation. (5 hrs)
- Unit III Review of related literature need purpose and sources: Library, On-line search, retrieval of database from different CD-ROMs and use of A.V. Aids. (5 hrs)
- Unit-IV Research approaches and Designs: (25 hrs)
 - Historical approaches
 - Survey and experimental approaches
 - Qualitative research approaches, ethnography and phenomology
 - Longitudinal, cross sectional and cohort studies advantages and disadvantages
 - Experimental designs Purposes, characteristics, types of design, pre-experimental and quasi and true implemented design, steps of experimental research
 - Sampling Methods size, criteria's of population, techniques of sampling criteria, determination of sample size
 - Data collection Tools and techniques, types, purposes, characteristics and uses
 - Scale/Construction of tools Selection/Construction of tools, testing validity and reliability
 - Techniques of data collection Technique, tools used for qualitative research, observation, focus group discussion, measurement and record analysis and field trips.
- Unit-V Data collection procedures, analysis & interpretation and data management (5 hrs)
- Unit VI Ethical considerations in Nursing Research (2 hrs)
 - General considerations
 - Ethical considerations specific to approaches, design and data collection procedures
 - Ethics Committee composition, role and importance
 - Guidelines for ethical clearness
 - Ethical issues the relation to scientific and professional community (Plagarism)
- Unit VII Qualitative and quantitative analysis (10 hrs)
 - Descriptive, inferential and advance statistics
 - Parametric and Non parametric methods
 - Multivariate analysis
- Unit VIII Communicating research findings (5 hrs)
 - Research critic
 - Project proposal for funding
 - Research utilization

DR. T. DILIP KUMAR, President [ADVT.-III/4/Exty./334/2020-21]